कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक 2961/कोरोना सेल/न्या.लि./2020 रायगढ़ दिनांक 29/मार्च/2020

छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 1–75/राजस्व/राहत/COVID-19/2020 दिनांक 25–03–2020 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा COVID-19 को महामारी घोषित किये जाने का उल्लेख है।

रायगढ़ जिला के औद्योगिक/व्यवसायिक/वाणिज्यिक गतिविधियों के केन्द्र होने के कारण यहां पर लाखों की संख्या में कर्मचारी/मजदूर विभिन्न कम्पनियों में कार्यरत हैं जिनमें अधिकांश लोग किराये के घरों में रह रहे हैं। कोविड–19 महामारी के कारण जिला की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि ऐसे लोगों को पूरी आवासीय सुरक्षा मिलनी चाहिए किन्तु प्रशासन के संज्ञान में यह आ रहा है कि जिले के भवन स्वामियों द्वारा ऐसे लोगों से भवन का किराया लेने के लिये बाध्य किया जा रहा है जिसके कारण ये लोग अपने मकानों को छोडकर अपने मूल स्थानों के लिये जाने को विवश हो रहे हैं। इस स्थिति से जिले में दो प्रकार की विकट स्थितियां उत्पन्न हो रही है :—

(1) ऐसे मजदूर/कर्मचारी जिले के विभिन्न मार्गों पर आकर अपने–अपने गृह जिले/जनपदों को लॉकडाउन होने के कारण जाने के लिये विवश हो रहे हैं। जिससे कोरोना वायरस के फैलने की संभावना और भी अधिक होती जा रही है।

(2) ऐसे कर्मचारी/मजदूर जो आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन/वितरण से जुड़े हुए हैं, के अपने गृह जिला/जनपद की ओर प्रस्थान करने के लिए विवश करने के कारण जहां एक ओर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन/वितरण बाधित हो रहा है वहीं दूसरी ओर यह स्थिति वर्तमान परिस्थितियों को और भी ज्यादा प्रभावित कर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर सकती है।

उक्त परिस्थितियों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत् **मैं जिला दण्डाधिकारी, यशवन्त कुमार** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से यह आदेश देता हूँ कि जिले के किसी भी भवन स्वामी द्वारा **किसी भी मजदूर/कर्मचारी, जो जिले के विभिन्न इकाईयों/कम्पनियो/कार्यालयों में कार्यरत हैं, से आवासीय भवन के किराये की मांग एक माह तक किसी भी दशा में नहीं की जावेगी।** वांछित आवासीय भवन किराया आदेश की तिथि से एक माह के उपरांत ही लिया जावेगा।

यदि जिले के किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जावेगा तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी **जिसमें एक वर्ष तक की सजा या अर्थदण्ड या दोनों हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान–माल की क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष तक भी हो सकती है।** यदि किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना जिला स्तरीय नोवेल कोरोना वायरस नियंत्रण कक्ष **के दूरभाष नम्बर 07762-223750** पर दी जा सकती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(यशवन्त कुमार)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़(छ.ग.)

क्रमशः ..1/2

पृ0क. 2961-A/कोरोना सेल/ न्या.लि./2020 रायगढ़ दिनांक 29/मार्च/2020

प्रतिलिपि :–

1– मुख्य सचिव छ0ग0शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2– अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्य मंत्री ,मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, की ओर सादर सूचनार्थ।

3– अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, की ओर सादर सूचनार्थ।

4– सचिव छ0ग0 शासन स्वास्थ्य विभाग , मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, की ओर सादर सूचनार्थ।

5– आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

6– पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।

7– अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला–रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।

8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9– आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10– सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जिला–रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11– सर्व तहसीलदार, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12– सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला– रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस आदेश का पर्याप्त प्रचार–प्रसार कराया जावे।

13– सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला– रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस आदेश का पर्याप्त प्रचार–प्रसार कराया जावे।

14– सहायक संचालक, जनसम्पर्क जिला कार्यालय रायगढ़ को दैनिक सामाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।

(यशवन्त कुमार)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़(छ.ग.)